43/2016

नाथूराम बनाम TDR रायपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2019	वकील अपीलाण्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित। बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.1996 को अपास्त कराने का निवेदन किया। जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि जैर अपील नामान्तरकरण जवारा की पत्नी जीवित होने के कारण तथा झूमरदीन फौत होने के कारण दायर किया गया है। झूमरदीन के फौतेदगी के सम्बन्ध में न तो किसी प्रकार का उज्र लिया गया है तथा न ही इस तथ्य को चुनौती दी गई। जैर अपील नामान्तरकरण में इस तथ्य को चुनौती दी गई है कि जवारा फौत होने पर जो नामान्तरकरण भंवरू के नाम दायर किया गया था, उस नामान्तरकरण के आधार पर दायर प्रविष्ठि को बिना किसी सक्षम आदेश के अभाव में परिवर्तित किया जाकर भंवरू पुत्र जवारा का नाम विलोपित करते हुए गंगा के नाम नामान्तरकरण दायर किया गया है, जो विधिक दृष्टिकोण से त्रुटीपूर्ण हैं। नामान्तरकरण प्रायः निम्न मामलों में राजस्व अधिकारी/ग्राम पंचायत नामान्तरकरण खोलकर तस्दीक करते हैं – यथा विनियम संबंधी मामलों में, कृषि भूमि के बेचान के संबंध में, विभाजन पर, न्यायालय की डिक्री की पालना में, हक के मामलों में, रहन होने पर, हिब्बे, बक्शीश (दान) के मामलों में, कृषि भूमि के इस्तीफे के संबंध में (सरेन्डर, अबन्डनमेंट) समर्पण, परित्याग, अवसान के संबंध में, तकावी ऋण के संबंध में, जब्ती के संबंध में, गोद नामे के संबंध में, फकूल रहन (बा–गुजाश्त) के संबंध में, अनुपस्थित व्यक्तियों के बारे में (नियम 138 लैण्ड रेकार्डस रूल्स) तथा बिना उत्तराधिकारी के मरने की स्थिति में (नियम 139), आवंटन के मामलों में नामान्तरकरण तस्दीक किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, उसमें भंवरू का नाम बिना किसी आदेश के विलोपित करते हुए गंगा का नाम दायर किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम नाहरगढ तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 49 पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 10.01.1996 को गंगा बेवा जवारा 1/10 वगैरा की हद तक अपास्त किया जाता है तथा इस हद तक उक्त नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। तदनुसार तहसीलदार रायपुर नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। इस निर्णय की सत्य प्रतिलिपी तहसीलदार रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। अति. जिला कलक्टर, पाली अति. जिला कलक्टर, पाली	